



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276301  
CG-DL-E-17092026-276301

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 752]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2026/भाद्र 26, 1948

No. 752]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2026/BHADRA 26, 1948

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

आयकर

सा.का.नि. 822(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 262, 273, 413, 514 और 515 के साथ धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर नियम, 2026 का और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) इन नियमों में, —

क) नियम 2 से 4, 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे ; और

ख) नियम 5 से 8 राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 2026 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 160 में, —

क) उप-नियम (3) में, “(i)” कोष्ठकों और आँकड़ों के स्थान पर “(क)” कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

ख) उप-नियम (4) में, “(i)” कोष्ठकों और आँकड़ों के स्थान पर “(क)” कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

3. उक्त नियम में, नियम 176 के उपनियम (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) में, “डिजिटल हस्ताक्षर करके” शब्दों के स्थान पर, “इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम में, नियम 225 में, —

क) उपनियम (4) में खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

ख) उप नियम (19) में, “या गिरफ्तार करने” शब्दों के स्थान पर “का” शब्द रखा जाएगा;

ग) उप-नियम (56) में, “उप-नियम 53(iv)” शब्द, आंकड़े, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर “उप-नियम 53(घ)” शब्द, आंकड़े, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

घ) उप-नियम (75), (76), (77), (78), (79), (80), (81), (82), (83) और (91) का लोप किया जाएगा;

ङ) उप नियम (87) में, “(गिरफ्तारी और निरोध को छोड़कर)” कोष्ठक और शब्द का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम में, नियम 246 के उपनियम (4) में, “30 सितम्बर, 2026” अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “31 मार्च, 2027” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियम में, नियम 256 के उपनियम (4) में, “30 सितम्बर, 2026” आँकड़ों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2027” आँकड़े, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 169 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: —

**“प्ररूप संख्या 169**

**[ नियम 246 और 247 देखें ]**

**आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 514 के अधीन एक मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सेवा में,**

**\* प्रधान मुख्य आयुक्त,**

**मुख्य आयुक्त,**

**प्रधान महानिदेशक,**

**महानिदेशक,**

**महोदय/महोदया,**

मैं आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 514 के अधीन एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ। निम्नलिखित विवरण इसके साथ प्रस्तुत किए गए हैं:

| भाग अ: व्यक्तिगत जानकारी                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                                                                                     | नाम                                                                          |                                                                                                                                                                | (टिप्पण 1 देखें)     |
| 2.                                                                                                                                     | स्थायी खाता संख्या                                                           |                                                                                                                                                                |                      |
| 3.                                                                                                                                     | पता                                                                          |                                                                                                                                                                | (टिप्पण 2 देखें)     |
| 4.                                                                                                                                     | जन्म तिथि                                                                    |                                                                                                                                                                | दिन / माह/ वर्ष      |
| 5.                                                                                                                                     | सम्पर्क करने का विवरण                                                        |                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                        | (i)                                                                          | मोबाइल नंबर                                                                                                                                                    | देश कोड संख्या       |
|                                                                                                                                        | (ii)                                                                         | ईमेल आईडी                                                                                                                                                      |                      |
| भाग आ : आस्ति का वर्ग (टिप्पण 3 देखें)                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                |                      |
| 6.                                                                                                                                     | जिस आस्ति वर्ग के लिए मूल्यांकनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण मांगा जा रहा है |                                                                                                                                                                | [फ्री टेक्स्ट]       |
| भाग इ: मूल्यांकनकर्ता के रूप में पात्रता के लिए अर्हताओं का विवरण ( टिप्पण 4 देखें)                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                |                      |
| 7.                                                                                                                                     | (i)                                                                          | शैक्षिक अर्हता                                                                                                                                                 | [अपलोड]              |
|                                                                                                                                        | (ii)                                                                         | पूर्व रोजगार                                                                                                                                                   | [अपलोड]              |
|                                                                                                                                        | (iii)                                                                        | परामर्श इंजीनियर, अचल आस्ति के मूल्यांकनकर्ता, सर्वेक्षक या वास्तुकार आदि के रूप में अभ्यास का विवरण।                                                          | [अपलोड]              |
|                                                                                                                                        | (iv)                                                                         | कोई अन्य विवरण<br>(मूल्यांकनकर्ता के रूप में पात्रता के प्रयोजनों के लिए)                                                                                      | [अपलोड]              |
| 8.                                                                                                                                     | (i)                                                                          | कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्यांकित की गई आस्तियों या निष्पादित कार्यों की सूची सहित एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में अपने अनुभव का पूरा विवरण संलग्न करें। | [अपलोड]              |
|                                                                                                                                        | (ii)                                                                         | क्या आप धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन मूल्यांकनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं?                                                                   | (i) हाँ<br>(ii) नहीं |
|                                                                                                                                        | (iii)                                                                        | यदि 8 (ii) का उत्तर हाँ है, तो रजिस्ट्रीकरण का वैध प्रमाण पत्र अपलोड करें।                                                                                     | [अपलोड]              |
| भाग- ई :निर्हता के आधार (टिप्पण 5 देखें)                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                |                      |
| 9.                                                                                                                                     | (i)                                                                          | क्या आप नियम 247(4) या (5) में निहित किसी भी उपबंध के कारण रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से निर्हरित हैं?                                                     | (i) हाँ<br>(ii) नहीं |
|                                                                                                                                        | (ii)                                                                         | यदि 9 (i) का उत्तर हाँ है, तो सुसंगत खंड भरें                                                                                                                  | [फ्री टेक्स्ट]       |
| भाग-उ : सत्यापन और घोषणा                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                |                      |
| <p>मैं, _____ जिसका पैन _____ है, घोषित करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, जो ऊपर कहा गया है वह सही, पूर्ण और सत्य है।</p> |                                                                              |                                                                                                                                                                |                      |

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं-

- (क) किसी भी आस्ति का निष्पक्ष और सच्चा मूल्यांकन करें जिसका मुझे मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो;
- (ख) विहित प्ररूप में ऐसे मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें;
- (ग) इस निमित्त बोर्ड द्वारा विहित दर या दरों से अधिक नहीं होने वाली दर पर शुल्क लेना;
- (घ) किसी भी ऐसी आस्ति का मूल्यांकन न करें जिसमें मेरी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि हो।

मैं यह घोषणा करने और इसे सत्यापित करने में सक्षम हूँ। आज सत्यापित किया गया है \_\_\_\_\_ दिन का  
\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_।

स्थान.....

तारीख.....

\* जो भी लागू न हो उसे हटा दें

\_\_\_\_\_  
(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

#### टिप्पणः

- सबसे पहले, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।
- पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/जगह, (vii) जिला, और (viii) राज्य शामिल होना चाहिए। पते में डिजिपिन भी शामिल हो सकता है।
- किसी वर्ग के आस्ति के मूल्यांकनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग की आस्ति को भरा जाएगा:

| क्र.सं. | आस्तियों का वर्ग                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | अचल आस्ति (खेती की ज़मीन, बागान, जंगल, खदानों और खदानों के अलावा)                                                                                            |
| 2       | काँफी बागान, चाय बागान, रबर बागान या इलायची बागान के अलावा अन्य कृषि भूमि                                                                                    |
| 3       | काँफी बागान, चाय बागान, रबर बागान या इलायची बागान                                                                                                            |
| 4       | जंगल                                                                                                                                                         |
| 5       | खदानें और खदानें                                                                                                                                             |
| 6       | स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियाँ, साझेदारी फर्मों में शेयर और व्यावसायिक आस्तियाँ, सद्भावना को छोड़कर धारा 1 से 5 और 7 से 11 में उल्लिखित लोगों को छोड़कर। |
| 7       | मशीनरी और संयंत्र                                                                                                                                            |
| 8       | आभूषण                                                                                                                                                        |
| 9       | कला का काम                                                                                                                                                   |
| 10      | जीवन हित, प्रतिवर्तन और प्रत्याशा में ब्याज                                                                                                                  |
| 11      | कोई अन्य आस्ति                                                                                                                                               |

4. मूल्यांकनकर्ता के रूप में पात्रता के लिए अर्हता का विवरण नियम 247(2) के अनुसार चुना जाएगा।
5. मूल्यांकनकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरता नियम 247(4) और (5) के अनुसार होगी।
6. विभिन्न प्रकार की आस्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अलग-अलग प्ररूप भरने की अपेक्षा होती है।
7. इस प्ररूप के साथ 10,000 रुपये का शुल्क देना होगा। यदि मूल्यांकनकर्ता पहले से ही धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं तो कोई शुल्क नहीं देना होगा।
8. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुई होगी। ”।

8. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 171 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा: —

|                                                                                                                                                                                                         |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|--|
| <b>“प्ररूप संख्या 171</b><br><b>[ नियम 256 और 257 देखें ]</b>                                                                                                                                           |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
| <b>आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 515 के अधीन अधिकृत आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र</b>                                                                               |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
| सेवा में,<br><br>*मुख्य आयकर आयुक्त या आयुक्त,<br><br>महोदय/महोदया,<br><br>मैं धारा 515(3)(क)(v) या (vi) या (vii) या (viii) के अधीन अधिकृत आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ। |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
| <b>भाग-अ: व्यक्तिगत जानकारी</b>                                                                                                                                                                         |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | नाम                            | (टिप्पण 1 देखें)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                      | लिंग<br><br>( एक का चयन करें ) | (i) पुरुष<br>(ii) महिला<br>(iii) ट्रांसजेंडर |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                      | स्थायी खाता संख्या (पैन)       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                      | पिता/पति का नाम                | (टिप्पण 1 देखें)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                      | स्थायी आवासीय पता              | (टिप्पण 2 देखें)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                      | वर्तमान आवासीय पता             | (टिप्पण 2 देखें)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
| 7.                                                                                                                                                                                                      | सम्पर्क करने का विवरण          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (i)                            | मोबाइल नंबर                                  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">देश कोड</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">संख्या</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table> | देश कोड | संख्या |  |  |
| देश कोड                                                                                                                                                                                                 | संख्या                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (ii)                           | ईमेल आईडी                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |
| 8.                                                                                                                                                                                                      | भारत में वृत्ति का मूल स्थान   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |  |  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                         |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9.                               | (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चाहे किसी फर्म में भागीदार हों,<br>( एक का चयन करें)                      |                                                                                                                                                         | (i) हां<br>(ii) नहीं |
|                                  | (ii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | यदि पंक्ति 9 (i) का उत्तर हाँ है, तो फर्म का निम्नलिखित विवरण प्रदान करें |                                                                                                                                                         |                      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (क)                                                                       | नाम                                                                                                                                                     | (टिप्पण 1 देखें)     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ख)                                                                       | पैन                                                                                                                                                     |                      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (अपेक्षित हो तो दोहराएं)                                                  |                                                                                                                                                         |                      |
| <b>भाग आ: आवेदक द्वारा घोषणा</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                         |                      |
| 10.                              | (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (क)                                                                       | विहित शैक्षणिक योग्यता का विवरण                                                                                                                         | [फ्री टेक्स्ट]       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ख)                                                                       | पंक्ति 10(i)(क) में वर्णित प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें                                                                                    | (टिप्पण 3 देखें)     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (अपेक्षित हो तो दोहराएं)                                                  |                                                                                                                                                         |                      |
|                                  | (ii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (क)                                                                       | क्या आप आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अधिकृत आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं?                                                       | (i) हां<br>(ii) नहीं |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ख)                                                                       | यदि 10 (ii) (क) का उत्तर हां है, तो रजिस्ट्रीकरण का वैध प्रमाण पत्र अपलोड करें                                                                          | (टिप्पण 3 देखें)     |
|                                  | (iii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कोई अन्य विवरण<br>(पात्रता के प्रयोजन के लिए)                             |                                                                                                                                                         | (टिप्पण 3 देखें)     |
|                                  | (iv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (क)                                                                       | क्या आपको धारा 515(4) या (5) या (7) में निहित किसी भी उपबंध के कारण रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से निर्हरित घोषित किया गया है<br>( एक का चयन करें)   | (i) हां<br>(ii) नहीं |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ख)                                                                       | यदि 10(iv)(क) का उत्तर हाँ है, तो कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या आप धारा 515(4)(क) या धारा 515(5)(ख) या धारा 515(7) के अंतर्गत स्थायी रूप से निर्हरित हैं | (i) हां<br>(ii) नहीं |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ग)                                                                       | यदि 10(iv)(ख) का उत्तर नहीं है, तो कृपया वह तारीख बताएं जिसके लिए आप निर्हरित हैं।                                                                      | दिन /माह/ वर्ष       |
|                                  | <p>मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं एक वर्ष से कम समय से आयकर अधिकारियों के समक्ष व्यवसाय कर रहा हूँ और मैंने अब तक किसी अन्य मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अधिकृत आयकर व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन कोई आवेदन नहीं किया है।</p> <p>स्थान:<br/>तारीख:</p> <p style="text-align: right;">( हस्ताक्षर)</p> |                                                                           |                                                                                                                                                         |                      |

**सत्यापन**

मैं, \_\_\_\_\_ [बड़े अक्षर में नाम], यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन में जो कहा गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।।

जगह:

तारीख: \_\_\_\_\_

(हस्ताक्षर)

\*जो लागू न हो उसे हटा दें

**टिप्पण:**

1. सबसे पहले, मध्य और अंतिम नाम बिना किसी संक्षिप्त नाम के पूर्ण रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।
2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/जगह, (vii) जिला, और (viii) राज्य शामिल होना चाहिए। पते में डिजिपिन भी शामिल हो सकता है।
3. पंक्ति 10 के संबंध में, निम्नलिखित दस्तावेज उपाबंध के रूप में रखे जाएंगे, अर्थात्:

| उपाबंध | विवरण                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| अ-1    | पंक्ति 10 (i)(ख) में वर्णित अनुसार संलग्न प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि। |
| अ-2    | पंक्ति 10(ii)(ख) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण का वैध प्रमाणपत्र।            |
| अ-3    | पंक्ति 10(iii) में उल्लिखित पात्रता के प्रयोजनों के लिए कोई अन्य विवरण।  |

4. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी हुई होगी।।

[अधिसूचना सं. 120/2026/फा. सं. 370142/30/2026- टीपीएल]

प्रेरणा, अवर सचिव

**टिप्पण :** आयकर नियम, 2026 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.198 (अ), तारीख 20 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि. 656 (अ), तारीख 24 जुलाई, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।